कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 6072/2021 सुनीता मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 2 सप्ताह की अवधि में रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी श्रीमती सुनीता मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि सुरोठी, बाडी जिला धौलपुर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति के राजकीय सेवा में जयपुर जिले में कार्यरत रहने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि रूपारामपुरा, टोंक फाटक जिला जयपुर में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के वर्ष 2020-21 के चयनित आशार्थियों के पदस्थापन हेतु परामर्श शिविर दिनांक 24.08.2021 को आयोजित किया गया था। उक्त परामर्श शिविर में अपीलार्थी श्रीमती सुनीता मीणा, व्याख्याता (अंग्रेजी) राबाउमावि बस्सी जिला जयपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर ही राउमावि सुरोठी, बाडी जिला धौलपुर में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन निराधार है कि उनका स्थानान्तरण किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है अतः पदस्थापन संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य एवं विद्यार्थी हित में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/सुनीता मीणा/6072/2021 दिनांकः 17/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर संभाग, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/भरतपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सुनीता मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि सुरोठी, बाडी जिला धौलपुर को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)